

कार से 1 5 लाख रुपये का डोडा-चूरा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने कार से 101 किलो 414 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद किया

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाके की सीमलिया पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए कार से अवैध मादक पदार्थ 1०1 किलो 414 ग्राम डोडा-चूरा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम द्वारा पकड़ी गई मादक पदार्थ की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सीमलिया पुलिस व जिला विशेष टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्कारी व तस्करों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिमलिया थानाधिकारी नन्द सिंह व जिला विशेष टीम ने मय जाब्ता संयुक्त रूप से



कोटा ग्रामीण की सीमलिया पुलिस टीम ने कार से अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा जब्त किया।

कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कर

पुलिस नाकाबंदी को देखकर एक

प्रयास किया तो मौके पर मौजूद पुलिस

■ अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सीमलिया पुलिस व जिला विशेष टीम ने कार्रवाई की

और कार में सवार लोगों को डिटैन कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को दोनों के पास से अवैध मादक पदार्थ 1०1 किलो 414 ग्राम डोडा-चूरा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने मादक पदार्थ व कार को जब्त किया एवं एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए कार में सवार जिला नागौर के डारों की ढाणी रेण निवासी बनवारी (40) एवं जिला नागौर के पोलास निवासी सुरेश (38) को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये दोनों तस्करों से अनुसंधान जारी है।

विदेश भेजने के नाम पर ठगी

श्रीगंगानगर, (निसं)। विदेश भेजने के नाम पर युवक से लाखों ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने फर्जी ऑफर लेटर और एप्प्रीमेंट देकर दो भाइयों से करीब 2.80 लाख रुपए ले लिए।

जानकारी अनुसार रायसिंहनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर आरोपी ने खुद को विदेश भेजने का एक्सपर्ट बताया और माल्टा व क्रोएशिया में जांब लगवाने का झांसा दिया। पुलिस को दी रिपोर्ट में प्रेम कुमार निवासी रायसिंहनगर ने बताया कि उनका संपर्क सोशल मीडिया के जरिए अंकुर चौधरी नाम के व्यक्ति से हुआ। अंकुर ने खुद को विदेश भेजने का एक्सपर्ट बताया और अपना ऑफिस उत्तर प्रदेश के भूडाना में होना बताया। प्रेम कुमार 21 अगस्त 2024 को भूडाना गए। वहां आरोपी अंकुर ने उनके भाई रिछपाल को माल्टा भेजने का झांसा देकर 1 लाख 80 हजार रुपए ले लिए।

इंस्टाग्राम के जरिये अजमेर का युवक पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड से संपर्क में था, जांच में खुलासा

बम विस्फोट की साजिश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, कई शहरों में धमाकों की साजिश थी

अजमेर, (निसं)। बम विस्फोट की साजिश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अजमेर निवासी अली अकबर की दोस्तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इसी संपर्क के माध्यम से वह आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ और अन्य आरोपियों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा।

जांच में सामने आया कि अली अकबर ने साजिश में शामिल अन्य दो आरोपियों बुलंदशहर निवासी अनस और अंबाला निवासी जगबीर को दिल्ली में अपने दोस्त रहमान के यहां ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी।

■ जांच में सामने आया कि अली अकबर ने साजिश में शामिल अन्य दो आरोपियों को दिल्ली में अपने दोस्त रहमान के यहां ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई थी

■ वहीं जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने दिल्ली के सफदरगंज, पंजाब के मलेरकोटला, पठानकोट, अंबाला कैंट और हनुमानगढ़ के सैन्य क्षेत्र को निशाना बनाने की योजना बनाई थी

हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ ने तीनों को विस्फोटक सहित गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार, इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान शहजाद भट्टी ने अली अकबर का ब्रेनवॉश किया और

उसे पैसों का लालच देकर आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया। बाद में बातचीत के लिए 'सिग्नल' ऐप का इस्तेमाल किया जाना लगा, जहां से विस्फोट स्थलों के वीडियो भी साझा

किए जाते थे। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने दिल्ली के सफदरगंज, पंजाब के मलेरकोटला, पठानकोट, अंबाला कैंट और हनुमानगढ़ के सैन्य क्षेत्र को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। इनमें से हनुमानगढ़ के तोपखाने को उड़ाने की योजना को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां चौबे आरोपी की तलाश में जुटी हैं, जिसे विस्फोटक सीपा जाना था। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

बीकानेर में 11 साल बाद महिला टीचर की जाइनिंग पर विवाद

नियमों की अनदेखी के आरोप लगाकर लोकायुक्त में शिकायत की

बीकानेर, (निसं)। एक महिला शिक्षिका को करीब 11 साल बाद दोबारा सरकारी सेवा में जोड़ने कराने और सीधे शहर में पोस्टिंग देने का मामला विवादों में आ गया है। इस पर नियमों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए लोकायुक्त में शिकायत की गई है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत ही की गई है।

बीकानेर के उदयगामसर गांव निवासी सीमा यादव ने लोकायुक्त को दी शिकायत में बताया कि संबंधित महिला शिक्षिका जालवाली गांव में पोस्टेड थी और 16 जुलाई 2०14 से अवकाश पर चल रही थी। शिकायत में

कहा गया है कि शिक्षिका लंबे समय तक बिना सूचना के गैरहाजिर रही, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने नियमानुसार कोई सख्त कार्रवाई नहीं की।

परिवाद में उल्लेख किया गया है कि नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 5 साल तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है। इसके बावजूद 16 जून 2025 को शिक्षिका को फिर से जॉइन करा दिया गया, जिसे नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। शिक्षातत्कर्ता का आरोप है कि जॉइनिंग के बाद शिक्षिका को गांव के बजाय सीधे

बीकानेर शहर में पोस्टिंग दे दी गई, जो नियमों के विपरीत है। इस संबंध में करीब पांच पेज की शिकायत लोकायुक्त को दी गई है।

डीईओ किसनदान चारण ने बताया कि टीचर की जॉइनिंग और पोस्टिंग विभागीय नियमों और निर्देशों के अनुसार ही की गई है। लोकायुक्त से शिकायत मिलती है तो विभाग की ओर से पूरा जवाब दिया जाएगा। शिकायतकर्ता सीमा यादव का कहना है कि 11 साल बाद ज्वाइन कराने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है। बीकानेर स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के कारण ही लोकायुक्त में शिकायत की गई है।

पागल श्वान ने दस लोगों पर हमला किया

मसूदा, (निसं)। मसूदा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत किराप में एक कुत्ते के पागल हो जाने से गांव में अफरा-तफरी मच गई। पागल कुत्ते (श्वान) के हमले में दो बुजुर्गों और एक बच्चे सहित 1० ग्रामीण घायल हो गए। पागल कुत्ते (श्वान) ने करीब आधा दर्जन गावों और पैसों को भी काट लिया।

मिली जानकारी के अनुसार पागल हो जाने पर कुत्ता किराप की गलियों में दौड़ता रहा और ग्रामीणों को अपना शिकार बनाता रहा। सबसे पहले उसने घर से निकल रहे बुजुर्ग पर्वत सिंह को काटा। इसके बाद कुत्ते ने प्रेम सिंह, प्रवीण सिंह, पुष्पी सिंह, कलावती, रामेश्वरी, तारा देवी, सुखदेव सहित अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। घायल ग्रामीणों को तुरंत किराप के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मसूदा चिकित्सालय रेफर कर दिया।

भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा कारणों से नए प्रतिबंध लागू

अनूपगढ़, (निसं)। जिले में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लागू किए हैं। जिला कलैक्टर डॉ. मंजू ने आदेश जारी कर अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में विशेष पाबंदियां लगाई हैं। ये आदेश श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़ाना उपखंडों से लगती सीमा पर प्रभावी रहेंगे। इन प्रतिबंधों के तहत, अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आम नागरिकों की आबाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, जिन किसानों को अपनी कृषि भूमि पर सिंचाई या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जाना होगा, उन्हें संबंधित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बॉर्डर पोस्ट अधिकारी या सेना के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। रात के समय इस क्षेत्र में तेज रोशनी

राजस्थान सरकार निदेशालय खान एवं भुविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक नि:अ.ख.अ. नीलामी / नीलामी (ERCC/RCC 03)/2026/ई-14701
ई-नीलामी विज्ञिप्त संख्या (ERCC/RCC 03)/2026
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अध्दान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञिप्त से अध्दान खनिजों के प्रभावशील खनन पड्डों / ववारी लाईसेंसो व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क /अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रिमीयम शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 33 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक लेटफार्म पर इय्क्व बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक लेटफार्म प्रदाता कंपनियों MSTC की वेबसाइट www.msotcommerce.com पर उपलब्ध हैं।
(महावीर प्रयाद मीणा)

DIPR/C/5222/2026 निदेशक

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-F.32(B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/779
दिनांक 17.03.2026

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुभाषत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना:-
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आड्डा कम्पस प.4 (1) वि:अ/अब/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-सम-नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाइन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	23-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक
1.	ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in पर अपना SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इय्क्व बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व संयुक्म राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केद्वारे की के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।	
2.	नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिन्ट के अन्तर्न विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।	
3.	बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणांक में बढाकर बोली लगानी होगी।	
4.	बोलीदाता एक बार में रिजर्व ग्राइस / सिक्की बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।	
5.	कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व ग्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।	
6.	ऑनलाइन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इय्क्व आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर बोलीदाता के ऑनलाइन भूतान द्वारा इस वेबसाइट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता सिमि्त प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाइन भूतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।	
7.	प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व ग्राइस के 2 प्रतिशत राशि उमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करवनी जानी है। बिज राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।	
8.	सम्पन्न बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निदेश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, के अनुसार जमा करानी होगी।	
9.	निर्धारित समय में वार्षिक राशियां यथा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर सम्पन्न जमा राशि जपराज की जायेगी।	
10.	वर्ष 2026-27 के पात्र अनुभाषत्रियों को कर्मकमः 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुभाषत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।	
11.	बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसमय नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।	
12.	मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मद्यसमय नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निदेश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जौन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।	
13.	ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्राधान आबकारी एवं मद्यसमय नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।	

DIPR/C/ /2026 आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर